मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। पटना, दिनांकः–05/6/2025.

पत्रांकः–मु0अ0–1/निविदा–07–68/2025 931

प्रेषक,

मुख्य अभियंता–1
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, Hilsa के अधीन शीर्ष MMGSY(Awsesh) NDB अन्तर्गत पैकेज सं0–**MMGSY-(Awsesh)NDB-BRRP2-655-Hilsa** (टेन्डर आई0डी0–140070) का पथ निर्माण कार्य के निविदा के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांक **443** अनु0 दिनांक **19.05.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **Hilsa** के अधीन शीर्ष MMGSY(Awsesh) NDB अन्तर्गत पैकेज सं0–**MMGSY-(Awsesh)NDB-BRRP2-655-Hilsa** (टेन्डर आई0डी0–140070) का पथ निर्माण कार्य आपके एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार **Rajeev Kumar** **(Bid ID-612608)** को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से **7.99 (सात दशमलव नौ नौ) प्रतिशत** कम पर अर्थात **4,65,19,327.00 (चार करोड़ पैंसठ लाख उन्नीस हजार तीन सौ सताईस)** रूपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर **अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना** के पत्रांक BRRDA(HQ)MMGSY-NDB-151/23-P-II-1087 अनु0 दिनांक **30.05.2025** के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता अग्रधन सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये राशि से संबंधित एन0एस0सी0/किसान विकास पत्र/बैंक गारंटी आदि का सत्यापन संबंधित डाकघर/बैंक से कराकर प्रमण्डलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वॉछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंश होगा।
6. कार्य में व्यवहरित सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पायी जाती है, तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्तों में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जॉच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेगें।
9. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति, सरकारी भूमि की उपलब्धता एवं प्राक्कलन में किये गये उपबन्ध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेगें एवं प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. एकरारनामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगे।
11. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देगें कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा हो जाये।

Rajeev

25/6/25

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa